न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 29/2022 (जी सी एम एस नम्बर 2022/51)

उनवानी प्रकरण :–

पप्पू खॉ उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 हुसैनबक्स जाति मनिहार(मुसलमान)निवासी ग्राम विरौंधा तहसील मंनिया जिला धौलपुर ————————अपीलान्ट

बनाम्

1–तहसीलदार मंनिया जिला धौलपुर
2–गुडडी पुत्री हुसैनवक्स / समस्त जातिगण मनिहार
3–छीतो पुत्र हुसैनवक्स /
4–जलालुददीन पुत्र शहजाद / निवासीगण ग्राम विरौंधा
5–मुन्नी पुत्री हुसैनवक्स /
6–माया पुत्री हुसैनवक्स / तहसील मंनिया जिला धौलपुर
7–शपशुददीन पुत्र शहजाद / ————————रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 963
दिनांक 16.12.1988 बॉके ग्राम विरौंधा
तहसीलदार मंनिया

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री विजय सिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट–1की ओर से :– पैरोकार सरकार
रेस्पोडेण्ड 2लगा07 की ओर से :–श्री जयसिंह परमार एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 03.01.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 919,924 वांके ग्राम विरौधा में हुसैनवक्स, शहजाद पिसरान सोनपाल जाति मनिहार निवासी ग्राम विरौंधा खातेदार काश्तकार थे। हुसैनवक्स पुत्र सोनपाल का 1/2 हिस्सा था। हुसैनवक्स के निधनोपरान्त उक्त कृषि भूमि के सम्बध में विरासतन नामान्तकरण संख्या 963 वांके ग्राम विरौंधा रैस्पो0संख्या–1 ने अपीलान्ट एवं रैस्पो0 संख्या 2,3 व 5,6 के पक्ष में अपीलान्ट की नावालिग अवस्था में खोला था तथा उक्त नामान्तकरण आदेश अपीलान्ट के घर के नाम आसीन खॉ के नाम से

खोला था। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन विवादित आराजी अपीलांट एवं रैस्पो0संख्या 2,3 व 5,6 के पिता हुसैनवक्स की 1/2 भाग की खातेदारी में अंकित थी। हुसैनवक्स का निधन अपीलान्ट की नावालिग अवस्था में हुआ था। अपीलान्ट को बचपन में घर में सभी आसीन खॉ के नाम से पुकारते एवं जानते थे तथा अपीलान्ट का आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक एवं शिक्षा सम्बधी दस्तावेजात में तथा अपीलान्ट के बच्चो के समस्त दस्तावेजात में वल्दियत के रूप में अपीलान्ट का नाम पप्पू खॉ अंकित है। पप्पू खॉ एवं आसीन खॉ अपीलान्ट के ही दो नाम है। अपीलान्ट की मॉ मुस0 शहजादी ने अपीलान्ट की नावालिग अवस्था में अज्ञानतावश अपीलान्ट का नाम पप्पू खॉ के स्थान पर आसीन खॉ अंकित करवा दिया। भविष्य में होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश बिना किसी जॉच पडताल के पारित किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.07.2022 को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण हेतु बनवाने पर नकल लेने पर प्रथमवार हुई। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है। विलम्ब शमन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम आसीन खॉ के स्थान पर पप्पू खॉ अंकित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार मंनिया को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 963 वांके ग्राम विरौंधा, नकल जमाबन्दी संबत 2042–45 खाता संख्या 516 ग्राम विरौंधा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 593 विरौंधा, नकल जमाबन्दी हाल खाता संख्या 152 सम्बत 2076–79 ग्राम विरौंधा, फोटोप्रति आधार कार्ड पप्पू खॉ, फोटोप्रति राशन कार्ड, फोटोप्रति भामाशाह कार्ड, फोटोप्रति बैंक पासवुक, फोटोप्रति अंकतालिका, नकल बोटरलिस्ट पप्पू खॉ ग्राम विरौंध एवं सरपंच ग्राम पंचायत विरौधा का प्रमाण पत्र पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा07 की ओर से श्री जयसिंह परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 08.07.2022 को किसान क्रेडिट कार्ड

ऋण हेतु बनवाने पर नकल लेने पर हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है । अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0 पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की गई है। अतः प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन विवादित आराजी अपीलांट एवं रैस्पो0संख्या 2, 3 व 5, 6 के पिता हुसैनवक्स की 1/2 भाग की खातेदारी में अंकित थी। हुसैनवक्स का निधन अपीलान्ट की नावालिग अवस्था में हुआ था। अपीलान्ट को बचपन में घर में सभी आसीन खॉं के नाम से पुकारते एवं जानते थे तथा अपीलान्ट का आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक एवं शिक्षा सम्बधी दस्तावेजात में तथा अपीलान्ट के बच्चो के समस्त दस्तावेजात में वल्दियत के रूप में अपीलान्ट का नाम पप्पू खॉं अंकित है। पप्पू खॉं एवं आसीन खॉं अपीलान्ट के ही दो नाम है। अपीलान्ट की मॉं मुस0 शहजादी ने अपीलान्ट की नावालिग अवस्था में अज्ञानतावश अपीलान्ट का नाम पप्पू खॉं के स्थान पर आसीन खॉं अंकित करवा दिया। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश बिना किसी जॉच पडताल के पारित किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम आसीन खॉं के स्थान पर पप्पू खॉं अंकित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार मंनिया को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलान्ट की अपील में अंकित कथनों को स्वीकार किया तथा प्रकरण तहसीलदार मंनिया को प्रतिप्रेषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 963 वाके ग्राम विरौंधा तहसील मंनिया में अंकित आराजी अपीलांट एवं रैस्पो0संख्या 2,3 व 5,6 के पिता हुसैनवक्स की 1/2 भाग की खातेदारी में अंकित थी। हुसैनवक्स का निधन अपीलान्ट की नावालिग अवस्था में हुआ था। अपीलान्ट को बचपन में घर में सभी आसीन खॉं के नाम से पुकारते एवं जानते थे। अपीलान्ट की मॉं मुस0 शहजादी ने अपीलान्ट की

नावालिग अवस्था में अज्ञानतावश अपीलान्ट का नाम पप्पू खॉ के स्थान पर आसीन खॉ अंकित करवा दिया। पप्पू खॉ एवं आसीन खॉ अपीलान्ट के ही दो नाम है। अपीलान्ट ने आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, बैंक पासबुक एवं शिक्षा सम्बधी दस्तावेजात में तथा अपीलान्ट के बच्चो के समस्त दस्तावेजात में वल्दियत के रूप में अपीलान्ट का नाम पप्पू खॉ अंकित है। अपीलान्ट ने अपना नाम आसीन खॉ के स्थान पर पप्पू खॉ अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना की है। पप्पू खॉ एवं आसीन खॉ एक ही व्यक्ति के दो नाम है यह जॉच का विषय है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार मंनिया को अपीलान्ट के सही नाम की जॉच कर नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 963 दिनांक 16.12.1988 वांके ग्राम विरौंध तहसील मंनिया निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की जॉच हेतु उभयपक्षों को सुनकर आवश्यक रिकार्ड, दस्तावेज की संतुष्टि उपरान्त पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)